(1)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/251 दिनांक : 04/04/2016

परिपत्र

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में मरीज के वॉलेट से अधिक राशि के पैकेज बुक होने पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही Fund Enhancement में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को प्रेषित हो जाता है। परंतु कोर्पस फंड में प्रति वर्ष 10 करोड़ रूपये का ही प्रावधान रखा गया है तथा वर्ष 2015–16 में तो इसके लिये कोई राशि उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी दिनांक 10.03.2016 तक लगभग 315 प्रकरण Fund Enhancement के लिये प्राप्त हो चुके हैं जिन पर अभी कोई कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। इसलिये Fund Enhancement के लिये सभी अस्पतालों को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है, ताकि आवश्यक वास्तविक प्रकरण ही Fund Enhancement के लिये प्राप्त हों। निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है:–

- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा येाजना के अन्तर्गत Fund Enhancement कुछ विशेष परिस्थितियों में रोगी की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुशंसा के पश्चात किया जायेगा।
- यदि किसी मरीज के लिये पैकेज/पैकेजज बुक करते समय परिवार के वॉलेट में बकाया राशि बुक किये जाने वाले पैकेज/पैकेजज की राशि से कम है तथा इस राशि का अंतर 500 रूपये तक या उससे कम है तो ऐसे प्रकरण में इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुशंसा के पश्चात स्वतः ही Fund Enhancement की स्वीकृति कम्प्यूटर द्वारा दे दी जायेगी तथा अस्पताल मरीज का इलाज प्रारंभ कर सकेगा।
- निम्न परिस्थितियों में, मरीज के लिये पैकेज/पैकेजेज बुक करते समय वॉलेट का Balance समाप्त होने पर या फिर वॉलेट का Balance बुक किये जाने वाले पैकेज/पैकेजेज की राशि से कम होने पर, इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा अनुशंसा के पश्चात ही केस को Fund Enhancement Approval के लिये भेजा जा सकेगा।
  - अगर इलाज करने वाले चिकित्सक को यह लगता हे कि सम्बन्धित पैकेज बुक करके मरीज को इलाज नही दिया गया तो मरीज के किसी भी अंग या जान को खतरा हो सकता है।
  - ऑपरेशन थियेटर में मरीज के लिये कोई ऐसा पैकेज (Procedure) बुक किया जाना आवश्यक है जो पहले बुक नही किया गया था तथा जिसके बुक ना किये जाने पर मरीज के किसी भी अंग या फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है ।
  - मरीज इमरजेंसी मे अस्पताल आया है और उसकी बीमारी से सम्बन्धित पैकेज तुरन्त बुक कर इलाज शुरू नहीं किया गया तो मरीज के किसी भी अंग या फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है ।

➢ मरीज के इलाज के लिए अनेक पैकेज (Multiple) एक साथ बुक किये गये हैं तथा सभी पैकेज का योग, वॉलेट मे उपलब्ध कुल राशि से अधिक बन रहा है। ऐसी स्थिति मे केस को तभी Fund Enhancement के लिए भेजा जाएगा अगर चिकित्सक अनुशंसा/प्रमाणित करता है की सभी बुक किये गये पैकेज (Procedure) को निरंतरता (Continuity) में किया जाना मरीज के लिए अनिवार्य है।

- सामान्य परिस्थितियो में मरीज के लिये पैकेज बुक करते समय वॉलेट का Balance समाप्त होने पर या फिर वॉलेट का Balance बुक किये जाने वाले पैकेज से कम होने पर केस को Fund Enhancement के लिये नहीं भेजा जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में मरीज का इलाज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं करके सामान्य तरीके से अन्य योजनाओं यथा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष इत्यादि जो भी लागू हो उनके अन्तर्गत किया जायेगा।
- अगर इलाज करनेवाला चिकित्सक केस को Fund Enhancement में भेजने का निर्णय लेता है तो, उसे अनिवार्य रूप से लिखित मे अनुशंसा करनी पड़ेगी कि संबंधित पैकेज मरीज के किसी भी अंग या फिर उसकी जान बचाने के लिये अति आवश्यक है। यह अनुशंसा वह अपनी Prescription Slip अथवा इंडोर पर्ची पर देगा व केस के समर्थन मे सम्बन्धित दस्तावेज यथा जांच रिपोर्ट इत्यादि के साथ Fund Enhancement Approval के लिये केस को भेजते वक्त, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगा ।

Fund Enhancement करते समय उपरोक्त दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाये तथा इलाज करने वाले चिकित्सक की अनुशंसा के पश्चात ही अति आवश्यक प्रकरणों को ही Fund Enhancement के लिये प्रेषित किया जाये।

(नवीन जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी

भामाशाह स्वास्थ्य
बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/25। दिनांक :05/05/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. जिला नोडल अधिकारी (RAS RANK),(समस्त)
7. उप महाप्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेन्स
8. संभाग सयुंक्त निदेशक, (समस्त संभाग)
9. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज,(समस्त)
10. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
11. जिला नोडल अधिकारी समस्त,
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
13. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क)
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
15. नोडल अधिकारी (निजी अस्पताल समस्त)
16. डॉ अवतार सिंह दुआ, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
17. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
18. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेन्सी